मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

एक बात मुझे समझ नहीं आई !

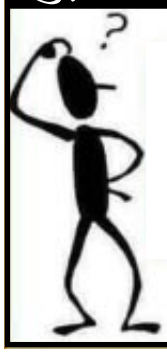

जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते-लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं!

राष्ट्रीय शर्म	3
मोदी के साक्षी	4
मगहर के अजगर	5
काले धंधे में इज्जत	8

वर्ष 31 | अंक -32 | फ़रीदाबाद | 5-11 अगस्त 2018 | फोन : - 9999595632 | ₹2.50

रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुख्यमंत्री खट्टर का राजनीति स्टंट बन कर रह गया

नगर निगम की होगी 'कमाई' न कि पब्लिक की भलाई

फ़रीदाबाद (म.मो.) मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा पिछले दिनों शहर में 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की घोषणा के बावजूद नगर निगम एक जगह भी यह सिस्टम नहीं लगा पाया। उधर पूर्व निगम पार्षद योगेश धींगड़ा द्वारा चलाये जा रहे भुवनेश धींगड़ा फ़ाऊंडेशन द्वारा जनहित में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की इजाजत नगर निगम से मांगी। पूरे नखरे व ड्रामेबाज़ी करने के बाद दिनांक 29.6.18 को निगम के चीफ़ इन्जीनियर ने तीन शर्तों के साथ इजाजत दी।

पहली शर्त कि इसका पूरा खर्च भुवनेश ढींगड़ा फ़ाऊंडेशन वहन करेगा, दूसरी शर्त कि उसमें केवल बारिश का पानी ही जाय, इसकी पूरी ज़िम्मेवारी भी फ़ाऊंडेशन की होगी। तीसरी कि समय-समय पर होने वाली इसकी सफ़ाई, देखभाल व समय-समय पर आवश्यक मुरम्मत आदि सब कुछ ढींगड़ा फ़ाऊंडेशन ही करेगा।

मतलब यह कि कोई शरीफ़ संस्था नगर निगम को कुछ बना कर दे दे तो उसके बाद भी सारी उम्र वह संस्था ही उसको ढोती रहेगी। निगम द्वारा 6 वर्ष पूर्व बनाये गये 190 रेन हार्वेस्टिंग में आज तक एक बूंद बरसाती पानी नहीं गया, किसी ने आज तक उनकी सुध नहीं ली, लेकिन ढींगड़ा फ़ाऊंडेशन पर सारी शर्तें लाद मारी। शहरवासियों के हित से जुड़ी इस फ़ाऊंडेशन ने तमाम शर्तें मान ली और दिनांक 14 जुलाई को काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने से पूर्व निगम के इन्जीनियरों ने रोज़ गार्डन में पहुंच कर वह जगह चिन्हित की जहां यह काम होना था।

नगर निगम की तमाम ड्रामेबाज़ी पूरी होने के बाद ढींगड़ा फ़ाऊंडेशन ने आवश्यक सामान-पाइप आदि खरीदे, बोरिंग मशीन को भाड़े पर लाकर काम पर लगाया। पूरा दो दिन काम चला 100 फ़ीट से अधिक गहरा बोर हो गया जिसमें पाइप भी उतार दिये गये। तीसरे दिन का जब काम चल रहा था तो एक निगम अधिकारी ने काम रोक देने का आदेश दिया लिकिन कारण कोई नहीं बताया। फ़ाऊंडेशन के दर्जनों लोग तुरंत नगर निगम कार्यालय पहुंचे। चीफ़ इन्जीनियर

निगमायुक्त मोहम्मद शाइन : न खुद करेंगे न किसी को करने देंगे!

जिसके हस्ताक्षर से काम करने की परमीशन मिली थी, दफ़्तर में नहीं थे। निगमायुक्त अपने कैंप कार्यालय में मौजूद थे लेकिन फ़ाऊंडेशन के प्रतिनिधि मंडल को मिलने से इन्कार कर दिया। अगले दिन वो चंडीगढ को निकल गये। दो दिन बाद लौटकर आये तो अपने एक असिस्टेंट इंजीनियर के हस्ताक्षर से एक पत्र ज़ारी करके दी गयी परमीशन वापस ले ली। एक लाइन के इस पत्र में परमीशन वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया गया।

बेशक लिखित एवं आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया; परन्तु कारण का रहस्य भी किसी से छिपा नहीं है। समझा जा रहा है कि यह सब स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा के दबाव में हुआ है। विदित है कि योगेश धींगड़ा स्वयं एवं उनके स्वर्गीय भ्राता श्री भुवनेश धींगड़ा कांग्रेसी तो थे ही साथ में अच्छी छवि के धनी भी। पहले भुवनेश धींगड़ा नगर निगम के पार्षद रहे उनके बाद योगेश पार्षद रहे। इलाके में इनके बेदाग़ छवि के चलते सीमा त्रिखा इनसे राजननीतिक तौर पर घबराती हैं। अपने जनविरोधी करमों से विधायक सीमा ने जहां अपना तो अपना भाजपा का भी नाम डुबो दिया है, वहां ढींगड़ा द्वारा किये जा रहे किसी भी जनहित वाले काम को वह भला कैसे बर्दाश्त करें।

राजनेता तो चलो जैसे होते हैं वैसे होते ही हैं; डूब गये मोहम्मद शाईन भी। एक

विधायक सीमा त्रिखा : खुद करने लायक नहीं, विपक्षी को कैसे करने दें!

आईएएस अफ़सर होते हुये विधायक के कहने भर से दी हुई परमीशन वापस लेकर थूक कर चाटने वाला काम कर दिया। हां, इसके पीछे उनका यह लालच भी हो सकता है कि यदि शहर के लोग़ों ने ही इस तरह के रेन हार्वेस्टिंग बनाने शुरू कर दिये तो वह लूट कमाई कैसे हो पायेगी जो 1000 हार्वेस्टिंग बना कर करनी है। ढींगड़ा फ़ाऊंडेशन द्वारा बनने वाले इस हार्वेस्टिंग की कुल लागत सवा से डेढ लाख ही आनी थी जबकि इससे घटिया क्वालिटी के हार्वेस्टिंग जो निगम बनाता है उनकी लागत 4-5 लाख आती है और जो कभी काम भी नहीं करते।

विदित है कि बरसात का आधा मौसम निकल चुका है। नगर निगम ने अभी तक 1000 में से एक भी हार्वेस्टिंग का काम शुरू नहीं किया। काम तो तब शुरू करेंगे न जब कोई जगह चिन्हित करेंगे। अभी तक तो कोई जगह भी चिन्हित नहीं कर पाया मोहम्मद शाइन का नगर निगम। कुल मिलाकर खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरों को करने देना नहीं।

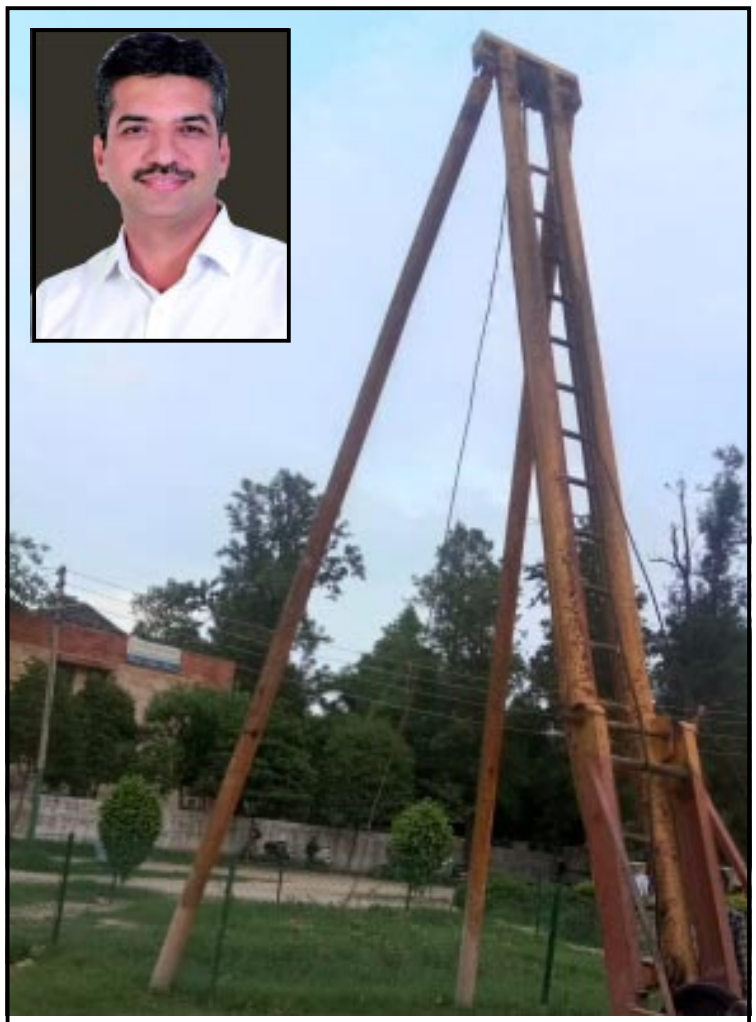

पार्षद योगेश धींगड़ा की हार्वेस्टिंग मशीनें विधायक और नगर निगम ने हटवाई : अब क्या करोगे खट्टर जी!

जेलनुमा गौ-शालाओं में हो रही गौ-हत्या, 146 गायें बल्लबगढ़ में मृत, सीएम सिटी भी पीछे नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) गाय की तस्करी अथवा हत्या के संदेह मात्र पर संघी लालची गुंडे इन्सानों की हत्या करने से गुरेज नहीं करते। उन्हीं के द्वारा संचालित गौ-शालाओं में आये दिन भारी संख्या में जिस तरह से तड़पा-तड़पा कर गायें मारी जा रही हैं वह गौ-हत्या से भी कहीं ज़्यादा दुखदायी है।

राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश तो दूर हैं, हरियाणा के विभिन्न स्थानों से आये दिन गौ-शालाओं में गायों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इसी सप्ताह बल्लबगढ़ के निकट गांव मोठूका की गौ-शाला में 127 गायों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है तो सीएम सिटी करनाल से सटे गांव फूसगढ की गौ-शाला में मृत-उपेक्षित गायों को कुत्ते खा रहे थे। सभी राज्यों में सैंकड़ों करोड़ के बजट के बावजूद इन गौ-शालाओं की स्थिति जेल से भी बद्तर है। किसी भी जेल में, अच्छी-बुरी चाहे जैसी भी हो भोजन, चिकित्सा व छत की व्यवस्था तो है, लेकिन संघियों के राज में जेलनुमा गौशालाओं में गायों को चारा तो क्या पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। बरसात के मौसम में कीचड़ में पड़ी इन गायों के पैरों में बने घावों में कीड़े कुलबुला रहे हैं। कहने को सरकार ने इनके लिये पशु चिकित्सकों की व्यवस्था कर रखी है जो सरासर झूठ है।

राज्य भर के पशु चिकित्सा विभाग में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। ऐसे में जो डॉक्टर व स्टाफ़ आदि हैं वो पाले गये गौ वंश व अन्य पशुओं को छोड़ कर गौ-शालाओं में कैसे बैठ सकते हैं ?

करनाल में फूसगढ़ गौ-शाला की तो दीवार ही टूटी पड़ी है। इसका लाभ उठा कर कुत्ते अंदर घुस आये और मृत गायों को खाने लगे। सम्बन्धित भाजपाई नेता से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टूटी दीवार को जल्द ठीक करा दिया जायेगा। यानी कुत्तों की रोकथाम हो जायेगी, लेकिन मरती गायों की बात वे टाल गये।

कुल मिला कर जिस बेदर्दी से तड़पा-तड़पा कर गायों को संघियों द्वारा संचालित गौ-शालाओं में मारा जा रहा है, ऐसा पहले कभी देखने सुनने को नहीं मिला।

राजनेताओं, अफ़सरों, एनजीटी व न्यायपालिका के गठजोड़ के चलते

अरावली पहाड़ियों में होटल डिलाइट का अवैध निर्माण ज़ोरों पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) तरह-तरह के ड्रामेबाज़ियों व कलाबाजियों के उपरांत 12 अप्रैल को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) ने उक्त पंचतारा होटल डिलाइट के निर्माण को अवैध बता कर रोक लगाई थी, वह अब पूरे जोर शोर से बनता जा रहा है। विदित है कि 12 अप्रैल को हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के सचिव की ओर से एनजीटी में शपथपत्र दायर करके कहा गया था कि उन्होंने जो कंसेंट (रजामंदी) दी थी उसे वे वापस लेते हैं। इसी के आधार पर एनजीटी ने होटल के निर्माण पर रोक लगाई थी।

रोक लगने के बाद भी निर्माणकर्ता होटल मालिक के हौंसले कम नहीं हुए। उसे अपनी क्रय शक्ति और राजनेताओं, अफ़सरों व एनजीटी की औकात का पूरा ज्ञान था। लिहाजा एनजीटी के उक्त आदेश के बाद उसने अपील व दलील की पैंतरेबाज़ी का सहारा लेकर अपने होटल का निर्माण कार्य तुरन्त शुरू कर दिया। अप्रैल में जो काम बेसमेंट लेवल पर था अब धरती के लेवल पर आ गया है।

यहां गौरतलब बात यह भी है कि किसी विभाग यानी पर्यावरण विभाग द्वारा एनओसी दिया जाना नगर निगम को बाध्य नहीं करता कि वह उसका नक्शा अवश्य पास करे अथवा उसका अवैध निर्माण होने ही दे। सर्वविदित है कि अवैध निर्माण केवल तभी होने दिया जाता है जब नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों का पेट भर दिया जाय। होटल निर्माण का यह अवैध कार्य कोई छोटा मोटा नहीं एक बड़ा खेल है। इसे निगमायुक्त से नीचे स्तर का कोई अधिकारी खेल भी नहीं सकता।

जब से मोहम्मद शाईन ने नगर निगम का धंधा संभाला है तब से वे लगातार फड़फड़ाते व गरजते रहे हैं। अरावली का सर्वे कराया, निगम का ऑडिट कराया, एफ़आई आर दर्ज कराने की अनेकों धमकियों के बाद कुछ दर्ज भी कराई। लेकिन इतना पहाड़ खोदने के बाद अभी तक नतीजे की चुहिया भी नहीं निकली।

जहां तक होटल डिलाइट का मामला है, 'मज़दूर मोर्चा' ने 1-7 अप्रैल में 'सुप्रीम कोर्ट, एनटीजी व पर्यावरण विभाग ने रिश्वतखोरों के भाव बढाये' शीर्षक से, 8-14 अप्रैल अंक में 'पंचतारा डिलाइट होटल को लेकर एनजीटी का नाटक शुरू, होटल मालिक निश्चिंत' तथा 15-21 अप्रैल वाले अंक में 'पर्यावरण नहीं पॉल्यूशन मंत्री विपुल के न चाहते हुये भी पॉल्यूशन बोर्ड ने थूका हुआ चाटा, नगर निगम को भी जांच का ड्रामा करना पड़ा' शीर्षक से समाचार प्रकाशित करके सुधी पाठकों को उसी वक्त अवगत करा दिया था कि पर्यावरण विभाग, एनजीटी, निगम अधिकारी सब मिलकर नौटंकी कर रहे हैं, अपने भाव बढा रहे हैं व जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं।

यदि अरावली की पहाड़ियों एवं वन सम्पदा को बचाने की नीयत इस शासक वर्ग की होती तो न किसी पर्यावरण विभाग की जरूरत थी और न ही किसी एनजीटी की। जरूरत है तो केवल ईमानदार इच्छा शक्ति के प्रशासन की।